

कार्यालय जिलाधिकारी, चन्दौली

पत्रांक-2711/जि0आ0आ0/व्यवस्थापन/ई-टेंडर/2019-20/चन्दौली:दिनांक:मार्च 25, 2019

वर्ष 2019-20 हेतु अवशेष देशी शराब एवं भाँग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन हेतु ई-टेंडर सम्बन्धी विज्ञापित

उ0प्र0 शासन, आबकारी अनुभाग के शासनादेश संख्या: 114/2018/4030 ई-2/तेरह-2018-02/2018 लखनऊ: दिनांक: 25 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु घोषित आबकारी नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अर्द्धशासकीय पत्रांक: 42900-42975/दस-लाइसेंस-421/आबकारी नीति क्रियान्वयन/2019-20 दिनांक: प्रयागराज: जनवरी 11, 2019 के सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद चन्दौली की 01 देशी शराब एवं 19 भाँग फुटकर बिक्री दुकानों, जिनका तृतीय चरण तक व्यवस्थापन नहीं हो पाया है, का वर्ष 2019-20 हेतु, चतुर्थ चरण का व्यवस्थापन शासन के पत्र सं0 844 ई-2/तेरह-2019-02/2018 लखनऊ: दिनांक 23.03.2019 के अनुसार दिनांक 26.03.2019 से दिनांक 02.04.2019 के मध्य ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से किया जायेगा। ई-टेंडर आमंत्रित किये जाने हेतु निम्नानुसार समय-सारिणी निर्धारित है -

1	Tender publishing date	26-03-2019 at 15.30
2	Document download start date	26-03-2019 at 15.30
3	Document download end date	01-04-2019 at 09.30
4	Pre bid meeting date	27-03-2019 at 16.00
5	Bid submission start date	26-03-2019 at 17.30
6	Bid submission closing date	01-04-2019 at 09.30
7	Technical bid opening date	01-04-2019 at 10.30
8	Financial bid opening date	02-04-2019 at 14.00
9	The place of bid opening	Collectorate, Chandauli
10	Tendor inviting officer	Collector

वर्ष 2019-20 हेतु अवशेष देशी शराब एवं भाँग की फुटकर दुकानों का ई-टेंडरिंग प्रणाली से व्यवस्थित कराये जाने हेतु सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार है-
देशी शराब

क्र० सं०	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2018-19 का व्यवस्थित एम०जी०क्यू० (36% बी/बी) (ब०ली० में)	माह जनवरी 19 तक दुकान पर कुल उपभोग (36% बी/बी) (ब०ली० में)	माह जनवरी 19 तक दुकान पर हुए कुल उपभोग के आधार पर समानुपातिक रूप से वृद्धि करने पर वर्ष 2018-19 का अनुमानित उपभोग (36% बी/बी) (ब०ली० में)	वर्ष 2019-20 हेतु ऑफर के लिए निर्धारित एम०जी०क्यू० (36%बी/बी) (ब०ली० में)	बेसिक लाइसेंस फीस (रु० में)	वार्षिक लाइसेंस फीस (रु० में)	प्रतिभूति धनराशि (रु० में)	साल्वेंसी धनराशि (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)
1	ककरैत	ग्रामगण	86400	76320	91584	91584	2747520	20331648	2033165	3846528	274752

भाँग

क्र० सं०	दुकान का नाम	एम०जी०क्यू० (कि०ग्रा० में)	प्रतिफल फीस (रु० में)	लाइसेंस फीस (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)
1	अरौली	60	1200	100,000	10,000
2	अरौली लाल पट्टी	60	1200	100,000	10,000
3	सैय्यत राजा	300	6000	845,000	84,500
4	औद्योगिक क्षेत्र रामनगर (कटरिया)	120	2400	1,050,000	105,000
5	तोखा (रमरजा)	60	1200	400,000	40,000
6	धनपुर	180	3600	1,060,000	106,000
7	नगवा घाट	60	1200	100,000	10,000
8	हिनुनगराड़	60	1200	45,000	5,000
9	कमालपुर	180	3600	865,000	86,500
10	डबौरिया	60	1200	140,000	14,000

क्र० सं०	दुकान का नाम	एम०जी०क्यू० (कि०ग्रा० में)	प्रतिफल फीस (रु० में)	लाइसेंस फीस (रु० में)	धरोहर धनराशि (रु० में)
11	धीना	120	2400	175,000	17,500
12	बारा सराय	60	1200	400,000	40,000
13	कैलावर	60	1200	215,000	21,500
14	सकलडीहा रेलवे स्टेशन	60	1200	600,000	60,000
15	मोहरगंज	60	1200	100,000	10,000
16	रामगढ़	60	1200	325,000	32,500
17	सीता पोखरी	60	1200	125,000	12,500
18	तुलसी आश्रम	60	1200	200,000	20,000
19	चहनीवा	300	6000	500,000	50,000

ई-टेंडर हेतु आवेदन/व्यवस्थापन की प्रक्रिया वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर सम्पादित की जायेगी तथा देशी शराब एवं भाँग दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा www.etender.up.nic.in पर पंजीकरण कराना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा एवं भाँग की दुकानों हेतु आवेदन कर सकेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ देशी शराब दुकान हेतु रु० 18000/- एवं भाँग की दुकान हेतु रु० 5000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० भी नियमानुसार देय होगा। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी०एस०टी० अनिवार्य रूप से NEFT/RTGS के माध्यम से उक्त आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग) और सहायक लेखाधिकारी उ०प्र० एक्सट्राज के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खंड लखनऊ, IFSC Code PUNB0448300 स्थित बचत खाता सं० 4483000100050375 में जमा करना होगा। आवेदक को प्रोसेसिंग शुल्क, जी०एस०टी० के NEFT/RTGS द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र यथा- साल्वेंसी प्रमाण पत्र अथवा आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड शपथ पत्र और आयकर रिटर्न भी स्कैन करके ई-टेंडर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आवेदन के लिए पृथक से धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौली के नाम से बना हो, जमा करना होगा। इसकी स्कैन कॉपी ई-टेंडर पोर्टल के फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। बिड जमा करने से सम्बन्धित दिग्दर्शिका आबकारी विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन बिड सभिज्ञान शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में सूचना उपरोक्त पोर्टल के साथ-साथ जनपद की वेबसाइट <https://chandauli.nic.in> पर भी देखा जा सकता है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अन्य जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौली तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।


(जितेंद्र कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
चन्दौली।


(नवीन सिंह चहल)
लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी
चन्दौली।

27/12/19

पत्रांक- /जि0आ0310/व्यवस्थापन/2019-20/चन्दौली: तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, चन्दौली।

2- समस्त आबकारी निरीक्षक, चन्दौली।

3- सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र- दैनिक जागरण, व अमर उजाला को न्यूनतम स्थान में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए बिल जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, चन्दौली से सत्यापित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(नवनीत सिंह चहल)

लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी
चन्दौली।